

प्ररूप 2
(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

हम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में

(अभ्यर्थी का पूरा नाम और पता)

को नामनिर्देशित करते हैं ।

हमने सत्यापित कर दिया है, और हम घोषित करते हैं, कि उक्त अभ्यर्थी ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वह

..... राज्य में

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है ।

उस निर्वाचक नामावली में उक्त अभ्यर्थी से संबद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है ।

हम यह और घोषित करते हैं कि हम, इसके नीचे यथा उपदर्शित लोक सभा या राज्य सभा या विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्य हैं और हम यह नामनिर्देशन करने के प्रमाणस्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं:-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम संख्या	पूरा नाम	लोक सभा का निर्वाचित सदस्य है या राज्य सभा का या विधान सभा का	राज्य/(किसी संघ राज्यक्षेत्र से लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की दशा में) संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

*आदि

*कम से कम पचास निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए ।

समर्थकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम संख्या	पूरा नाम	लोक सभा का निर्वाचित सदस्य है या राज्य सभा का या विधान सभा का	राज्य/(किसी संघ राज्यक्षेत्र से लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की दशा में) संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.
 - 9.
 - 10.
 - 11.
 - 12.
 - 13.
 - 14.
 - 15.
 - 16.
 - 17.
 - 18.
 - 19.
 - 20.
 - 21.
-

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

*आदि

*कम से कम पचास निर्वाचक समर्थकों के रूप में होने चाहिए ।

मैं इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं.

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में (तारीख) को(बजे)

अभ्यर्थी/प्रस्थापक (नाम)/समर्थक

(नाम) द्वारा नीचे यथा उपदर्शित संलग्नकों सहित जिनका —

(1)

(2)

होना तात्पर्यित है, परिदत्त किया गया ।

तारीख

.....

रिटर्निंग आफिसर

[धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय (यदि कोई हो)]

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है:-

तारीख

.....

रिटर्निंग आफिसर

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकार या नामंजूर करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र की राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ड. के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख

.....

रिटर्निंग आफिसर

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना
(नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं.

..... (नाम) का, जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में (तारीख) को (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक (नाम)/समर्थक (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया ।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न सब नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा (तारीख) को (बजे) (स्थान) में की जाएगी ।

[2. मैंने इस अभ्यर्थी के नामनिर्देशन पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है:-]

तारीख

.....

रिटर्निंग आफिसर